26/5/2025

पत्रा. पेश हुई। बहु. उप./वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में चल रहे ई-इजलास को कलमबन्द किया जाकर विवादित आराजी खसरा नं. 2055 रकबा 0.36 व 2113 रकबा 0.54 पर संख्या 01. 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 02. 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो।

पत्रावली फुलल शुमार होकर दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:58:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner